रजिस्टर्ड नं० ए० डी०-4

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, शुक्रवार, 30 अगस्त, 1974

भाद्रपद 8, 1896 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग-1

संख्या 2914/सत्रह-वि0-1-90-74

लखनऊ, 30 अगस्त, 1974

अधिसूचना

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन और क्रय-कर की वसूली) (संशोधन) विधेयक, 1974 पर दिनांक 29 अगस्त, 1974 ई0 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28, 1974 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन और क्रय-कर की वसूली) (संशोधन) अधिनियम, 1974

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28, 1974]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ।)

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 और उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) अधिनियम, 1961 का अग्रेतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के पच्चीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन और क्रय-कर की वसूली) (संशोधन) अधिनियम, 1974 कहलायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, 1953 ई0 की धारा 17 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 में, धारा 17 की उपधारा (3) में, निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात् —

"प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रतिबन्धात्मक खण्ड के प्रारम्भ होने के पश्चात् खरीदे गये गन्ने के मूल्य की अदायगी न करने के सम्बन्ध में, अंक '7 1/2' के स्थान पर अंक '12' रखा गया समझा जायगा।"

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9, 1961 की धारा 3 का संशोधन

3—उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) अधिनियम, 1961 में, धारा 3 में, —

(क) उपधारा (1) के खण्ड (ख) में शब्द "पचास पैसे" के स्थान पर शब्द "एक रुपये" रख दिये जायें;

(ख) उपधारा (10) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात् —

"(10-क) उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन लगाये गये कर में से उस सीमा तक जहां तक कि कर की दर प्रति क्विटल गन्ने पर पचास पैसे से अधिक हो, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में, विधि द्वारा सम्यक् विनियोग किये जाने के पश्चात्, राज्य सरकार राज्य की संहत निधि में से उतनी धनराशि निकालेगी जो पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान वसूल किये गये कर के आगम के आधे के बराबर हो, और उसे उपधारा (10) के खण्ड (क) में उल्लिखित निधि में जमा करेगी।"; और

(ग) उपधारा (11) में, शब्द, अंक तथा कोष्ठक "उपधारा (10) में" के स्थान पर, शब्द, अंक, अक्षर तथा कोष्ठक "उपधारा (10) और उपधारा (10-क) में" रख दिये जायं, और शब्द "उस उपधारा" के स्थान पर, शब्द, अंक तथा कोष्ठक "उपधारा (10)" रख दिये जायें।

No. 2914 (2) /XVII-V-1—90-74

Dated Lucknow, August 30, 1974

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Ganna (Poorti tatha Kharid Viniyaman aur Kraya-kar ki Vasooli) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1974 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 28 of 1974) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 29, 1974 :

UTTAR PRADESH SUGARCANE (REGULATION OF SUPPLY AND PURCHASE AND RECOVERY OF PURCHASE TAX) (AMENDMENT) ACT, 1974.

[U. P. Act No. 28 of 1974]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

An

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) Act, 1953 and the Uttar Pradesh Sugarcane (Purchase Tax) Act, 1961.

It is hereby enacted in the Twenty-fifth Year of the Republic of India as follows :

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase and Recovery of Purchase Tax) (Amendment) Act, 1974.

Amendment of section 17 of U. P. Act no. XXIV of 1953.

2. In the Uttar Pradesh Sugarcane (Regulation of Supply and Purchase) Act, 1953, in section 17, in sub-section (3), the following proviso shall be *inserted*, namely :—

"Provided that in relation to default in payment of price of cane purchased after the commencement of this proviso, *for* the figures '7½', the figures '12' shall be deemed *substituted*."

Amendment of section 3 of U. P. Act IX of 1961.

3. In the Uttar Pradesh Sugarcane (Purchase Tax) Act, 1961, in section 3,—

(*a*) in sub-section (1), in clause (*b*), *for* the words "fifty paise", the words "one rupee" shall be *substituted*;

(*b*) *after* sub-section (10), the following sub-section shall be *inserted*, namely :—

"(10-A) At the beginning of each financial year, after due appropriation has been made by law, the State Government shall withdraw from and out of the Consolidated Fund of the State an amount equivalent to one-half of the proceeds of the tax levied under clause (*b*) of sub-section (1), to the extent that the rate of tax exceeds fifty paise per quintal of sugarcane, recovered by it during the preceding financial year, and place it to the credit of the fund mentioned in clause (*a*) of sub-section (10)"; and

(*c*) in sub-section (11), *for* the words, figures and brackets "in sub-section (10)", the words, figures, letter and brackets "in sub-sections (10) and (10-A)" shall be *substituted*, and *for* the words "that sub-section" the words, figures and brackets "sub-section (10)" shall be *substituted*.

आज्ञा से,

कैलाश नाथ गोयल,

सचिव ।